

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 324/VII-1/2018/66-स्टोन क्रेशर/16
देहरादून, दिनांक: 01 जुलाई, 2018
अगस्त
कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1985/VII-1/66-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 3 जनवरी, 2017 द्वारा मै० मां वैष्णो स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री नीरज अग्रवाल, निवासी जगदीशनगर, ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार के पक्ष में जनपद व तहसील हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, ग्राम भोगपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 2.3046 है० नाप भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अनुज्ञा स्वीकृत की गई। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-VI के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1042/खनिज/स्टो०क्रेश०/हरि०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्तानुसार स्वीकृत स्टोन क्रेशर में फर्म के पार्टनर श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री नीरज अग्रवाल, निवासी जगदीशनगर, ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार के स्थान पर श्री नवीन गर्ग पुत्र श्री महेश चन्द्र गर्ग, निवासी के-13, कालंदी कुंज, मेरठ, उत्तर प्रदेश दर्ज/अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या:- 324 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मै० मां वैष्णो स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री नवीन गर्ग पुत्र श्री महेश चन्द्र गर्ग, निवासी के-13, कालंदी कुंज, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव